आयकर विवरणी फार्म सरल-II आईटीआर- I भरने के लिए अनुदेश

इस विवरणी प्रपत्र में ब्यौरों को भरने के लिए ये अनुदेश दिशा-निर्देश हैं। संदेह होने पर, कृपया आयकर अधिनियम 1961 तथा आयकर नियमावली, 1962 के संगत उपबंधों को देखें।

1. कर निर्धारण वर्ष जिसके लिए यह प्रपत्र लागू है।

यह प्रपत्र केवल कर निर्धारण वर्ष 2010-2011 के लिए ही लागू है अर्थात यह वित्त वर्ष 2009-10 में अर्जित आय से संबंधित है।

2. इस प्रपत्र का प्रयोग कौन कर सकता है।

इस विवरणी फार्म का प्रयोग ऐसे व्यष्टि द्वारा किया जा सकता है जिसकी कर निर्धारण वर्ष 2010-11 के लिए कुल आय में शामिल है

(क) वेतन/पेंशन से आय; या

(ख) एक गृह संपत्ति से आय (ऐसे मामले शामिल नहीं हैं जहां पिछले वर्षों से क्षति को अग्रनीत किया जाता है); या

(ग) अन्य स्रोतों से आय (लाटरी से जीत एवं घुड़दौड़ से आय शामिल नहीं है)। इसके अलावा, जिन मामलों में दंपत्ति नाबालिग बच्चा आदि जैसे अन्य व्यक्ति की आय को कर निर्धारिती की आय के साथ शामिल किया जाना है, इस विवरणी फार्म का प्रयोग तभी किया जा सकता है जब शामिल की जाने वाली आय उपर्युक्त दी हुई आय की श्रेणियों के अंतर्गत आती है।

3. इस विवरणी फार्म का प्रयोग कौन नहीं कर सकता

ऐसे व्यष्टि को इस विवरण फार्म का प्रयोग नहीं करना चाहिए जिसकी कर निर्धारण वर्ष 2010-11 के लिए कुल आय में शामिल है:

(क) एक से अधिक गृह संपत्ति से आय; या

(ख) लॉटरी जीतने से आय या घुड़दौड़ से आय; या

(ग) "पूंजी अभिलाभ" शीर्ष के अंतर्गत ऐसी आय जिसे कर से छूट नहीं प्राप्त है। उदाहरणार्थ, मकान, भू-खण्ड आदि बेचने से अल्पकालिक या दीर्घावधिक पूंजी अभिलाभ; या

(घ) कृषि से 500 रूपये से अधिक आय; या

(ङ) व्यवसाय या पेशा से आय।

4. अनुबंध रहित प्रमाण पत्र

इस विवरणी प्रपत्र के साथ कोई भी दस्तावेज (जिसमें टीडीएस प्रमाण पत्र शामिल है) संलग्न नहीं किया जाना चाहिए। इस विवरणी फार्म के साथ संलग्न सभी ऐसे दस्तावेजों को अलग करके विवरणी भरे करने वाले व्यष्टि को लौटा दिया जाएगा।

5. इस विवरणी प्रपत्र को भरने का तरीका

यह विवरणी प्रपत्र नीचे लिखे तरीकों में से किसी भी तरीके से आयकर विभाग को प्रस्तुत किया जा सकता है :-

(i) कागज़ी रूप में विवरणी प्रस्तुत करके;

(ii) डिजिटल हस्ताक्षर से इलेक्ट्रॉनिक तरीके से विवरणी प्रस्तुत करके

(iii) इलेक्ट्रानिक तरीके से विवरणी में आंकड़े भेज करके तथा उसके उपरान्त प्रपत्र आ.क.वि.-V में विवरणी का सत्यापन प्रस्तुत करके;

(iv) बार-कोडेड विवरणी प्रस्तुत करके।

जहां विवरणी प्रपत्र को 5(iii) में उल्लिखित तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, कर निर्धारिती को चाहिए कि वह विवरणी प्रपत्र आ.क.वि.-V की दो प्रतियों को मुद्रित करें । कर निर्धारिती द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित आईटीआर-V की एक प्रति साधारण डाक से पोस्ट बैग नं.1, इलेक्ट्रानिक सिटी कार्यालय, बंगलूरू-560100(कर्नाटक) को भेजनी होती है । दूसरी प्रति अपने रिकार्ड के लिए कर निर्धारिती द्वारा अपने पास रखी जा सकती है ।

6. पावती भरना

इस विवरणी प्रपत्र की केवल एक प्रति भरे करने की जरूरत है ।जहां प्रपत्र 5 (i) अथवा 5 (iv) में उल्लिखित तरीके से प्रस्तुत किया जाता है, उसमें इस प्रपत्र के साथ संलग्न पावती पर्ची विधिवत रूप से भरी जाए ।

7. यह प्रपत्र भरने के लिए कोड

विवरणी प्रपत्र में "भरे करने का दर्जा" शीर्ष के अंतर्गत ब्यौरों को संगत धारा के संबंध में भरा जाना है जिनके अंतर्गत संगत कोडों के आधार पर विवरणी भरे की जाती है । जिस धारा के अंतर्गत विवरणी भरे की जा रही है उसके संगत कोड नीचे दिए गए हैं:-

क्रम सं	विवरणी कैसे दाखिल की जाती है	कोड
i	धारा 139 के अंतर्गत नियत तिथि से पहले स्वैच्छिक रूप से	11
ii	धारा 139 के अंतर्गत नियत तिथि के उपरान्त स्वैच्छिक रूप से	12
iii	धारा 142(1) के अंतर्गत नोटिस के जवाब में	13
iv	धारा 148 के अंतर्गत नोटिस के जवाब में	14
v	धारा 153 क/153ग के अंतर्गत नोटिस के जवाब में	15

8. विवरणी भरे करने का दायित्व

हर व्यष्टि, जिसकी कुल आय आयकर अधिनियम के अध्याय-VIक के अंतर्गत कटौतियां अनुमत करने से पूर्व ऐसी अधिकतम राशि से अधिक है जिस पर आयकर प्रभार्य नहीं है,अपनी आय विवरणी प्रस्तुत करने के लिए बाध्य है 1 अध्याय VIक के अंतर्गत कटौतियों का उल्लेख इस विवरणी प्रपत्र की मद 5(आय एवं कटौतियां) में किया गया है । विभिन्न श्रेणी के व्यष्टियों के मामले में ऐसी अधिकतम राशि नीचे दी गई है जो आयकर प्रभार्य नहीं है:

क्रम सं.	श्रेणी	राशि (रूपये में)
(i)	65 वर्ष से कम आयु के व्यष्टियों (महिलाओं से भिन्न) के मामले में	1,60,000
(ii)	65 वर्ष से कम आयु की महिलाओं के मामले में	1,90,000
(iii)	ऐसे व्यष्टियों के मामले में जिनकी आयु वित्त वर्ष 2009-10 के दौरान किसी भी समय 65 वर्ष अथवा इससे अधिक है ।	2,40,000

9. इस विवरणी प्रपत्र में भरे जाने वाले ब्यौरे

इस विवरणी प्रपत्र में भरे जाने वाले ब्यौरे स्वत: स्पष्ट हैं । तथापि, ऐसी कुछ मदों को नीचे स्पष्ट किया गया है जिन्हें भरा जाना है:-

(क) ई मेल पता और फोन नंबर वैकल्पिक हैं;

(ख) **"नियोक्ता श्रेणी"** में सरकारी श्रेणी के अंतर्गत केन्द्र सरकार/राज्य सरकार के कर्मचारी शामिल होंगे । पीएसयू श्रेणी के अंतर्गत केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां शामिल होंगी;

(ग) **मद 1 में**, नियोक्ता द्वारा जारी टीडीएस प्रमाण पत्र (फार्म 16) में उल्लिखित वेतन/पेंशन का ब्यौरा भरें। तथापि, यदि फार्म सं. 16 में आय की ठीक से प्रपत्र नहीं की गई है तो कृपया सही प्रपत्र करें तथा उसे इस मद में भरें । इसके अलावा, यदि वर्ष के दौरान एक से अधिक नियोक्ता हों तो कृपया इस मद में विभिन्न कार्यालयों से कुल वेतन के संबंध में ब्यौरा भरें ।

(घ) **मद 3 में**, कृपया उस आय का ब्यौरा भरें जो लाटरी की जीत से आय या घुड़दौड़ से आय से भिन्न "आय स्रोतों से आय" शीर्ष के अंतर्गत आयकर प्रभार्य है ।

(ङ) **मद संख्या 27** में कृपया लाभांश आय आदि समेत कुल छूट आय भरें ।

(च) **मद 6** में, अध्याय VI- क की निम्नलिखित धाराओं के अंतर्गत अनुमत कटौतियों का ब्यौरा निम्नानुसार भरें :-

(i) **धारा 80 ग** (इस धारा के अंतर्गत कटौती के लिए कुछ प्रमुख मदें इस प्रकार हैं- जीवन बीमा के लिए संदत्त या जमा राशि, सरकार द्वारा स्थापित भविष्य निधि, मान्यता प्राप्त भविष्य निधि में अंशदान, किसी अनुमोदित अधिवार्षिता निधि में कर निर्धारिती द्वारा अंशदान, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रों, शिक्षण शुल्कों के लिए भुगतान, आवासीय मकान की खरीद या निर्माण के लिए भुगतान/पुनर्भुगतान तथा कई अन्य निवेश) (पूरी सूची के लिए, कृपया आयकर अधिनियम की धारा 80 ग देखें)(कृपया नोट करें कि जैसा कि धारा 80 ग ग ड. में प्रावधान है, धारा 80 ग, 80 ग ग ग और 80 ग ग घ के अंतर्गत कटौती की कुल राशि एक लाख रूपए से अधिक नहीं होगी)

(ii) धारा **80 ग ग ग** (कतिपय पेंशन निधियों में अंशदान के संबंध में कटौती)

(iii) धारा **80 ग ग घ** (केंद्र सरकार की पेंशन योजना में अंशदान के संबंध में कटौती)

(iv) **धारा 80 घ** (चिकित्सा बीमा प्रीमियम के संबंध में कटौती)

(v) **धारा 80 घ घ** (आश्रित जो विकलांग हो, का चिकित्सा उपचार सहित अनुरक्षण के संबंध में कटौती)

(vi) **धारा 80 घ घ ख** (चिकित्सा उपचार, आदि के संबंध में कटौती)

(vii) **धारा 80 ड.** (उच्च शिक्षा के लिए लिए गए ऋण पर ब्याज के संबंध में कटौती)

(viii) **धारा 80 छ** (कतिपय निधियों, धर्मस्व संस्थाओं आदि को दिए गए दान के संबंध में कटौती)

(ix) **धारा 80 छ छ** (संदत्त किराया के संबंध में कटौती

(x) धारा 80. छ छ क (वैज्ञानिक अनुसंधान या ग्रामीण विकास के लिए कतिपय दान के संबंध में कटौती)

(xi) **धारा 80 छ छ ग** (किसी व्यक्ति द्वारा राजनीतिक दलों को दिए गए अंशदान के संबंध में कटौती)

(xii) **धारा 80 प** (विकलांग व्यक्ति के मामले में कटौती)

(छ) **मद संख्या 8क** में मदों के लिए कर देयता की प्रपत्र निम्नानुसार की जाएगी

(i) व्यष्टियों (महिलाओं तथा ऐसे व्यष्टियों से भिन्न जिनकी उम्र वित्त वर्ष 2009-10 के दौरान किसी भी समय 65 वर्ष या इससे अधिक हो) के मामले में

आय **(रूपए में)**	कर देयता **(रूपए में)**
1,60,000रू. तक	शून्य
1,60,001 3,00,000रू. के बीच	1,60,000रू. से अधिक आय का 10%

3,00,001रू. से 5,00,000रू. के बीच	14,000+ 3,00,000रू. से अधिक आय का 20%
5,00,000रू. से अधिक	54,000+ 5,00,000रू. से अधिक आय का 30%

(ii) महिलाओं (ऐसी महिलाओं से भिन्न जिनकी उम्र वित्त वर्ष 2009-10 के दौरान किसी भी समय 65 वर्ष या इससे अधिक हो) के मामले में

आय (रूपए में)	कर देयता (रूपए में)
1,90,000रू. तक	शून्य
1,90,001 3,00,000रू. के बीच	1,90,000रू. से अधिक आय का 10%
3,00,001रू. से 5,00,000रू. के बीच	11,000+ 3,00,000रू. से अधिक आय का 20%
5,00,000रू. से अधिक	51,000+ 5,00,000रू. से अधिक आय का 30%

(iii) ऐसे व्यष्टियों के मामले में जिनकी उम्र वित्त वर्ष 2009-10 के दौरान किसी भी समय 65 वर्ष या इससे अधिक हो) के मामले में

आय (रूपए में)	कर देयता (रूपए में)
2,40,000रू. तक	शून्य
2,40,001 3,00,000रू. के बीच	2,40,000रू. से अधिक आय का 10%
3,00,001रू. से 5,00,000रू. के बीच	6,000+ 3,00,000रू. से अधिक आय का 20%
5,00,000रू. से अधिक	46,000+ 5,00,000रू. से अधिक आय का 30%

(ज) कर निर्धारण वर्ष 2010-11 के लिए कोई अधिभार नहीं है ।

(झ) **मद सं. 9** में, मद संख्या 8 के 3% की दर से माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा उपकर समेत शिक्षा उपकर की प्रपत्र करें ।

(ञ) **मद सं.** 11 में, वर्ष के दौरान प्राप्त वेतन के बकाए या अग्रिम के संबंध में धारा 89 के अंतर्गत अनुमत राहत (यदि कोई हो) का दावा करें । मद 12 में, धारा 90/9 के अंतर्गत किसी राहत का ब्यौरा प्रविष्ट करें ।

(ट) **मद सं. 22** में, कृपया बैंक का एम आई सी आर कोड भरें यदि आप इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन प्रणाली (ई सी एस) के माध्यम से प्रतिदाय प्राप्त करना चाहते हैं ।

तथापि, सभी मामलों में ई सी एस के माध्यम से प्रतिदाय जारी करना सम्भव नहीं है क्योंकि ई सी एस सुविधा पूरे देश में उपलब्ध नहीं है ।

(ठ) **मद 23 और 24** में, कृपया वेतन आय के संबंध में नियोक्ता(नियोक्ताओं) द्वारा जारी किए गए फार्म 16 और ब्याज आय एवं अन्य स्रोतों से, के संबंध में किसी व्यक्ति द्वारा जारी फार्म 16 क के अनुसार ब्यौरा भरें । इसके अलावा स्रोत पर काटे गए करों के लिए सटीक, तीव्र एवं पूर्ण क्रेडिट उपलब्ध कराने में आयकर विभाग को समर्थ बनाने के लिए करदाता प्रत्येक टीडीएस लेनदेन का पूर्ण ब्यौरा उद्धरित करने को सुनिश्चित करे ।

(ड) **मद संख्या 25** में कृपया कर भुगतानों अर्थात स्वयं द्वारा संदत्त अग्रिम कर एवं स्व-निर्धारण कर का ब्यौरा प्रविष्ट करें ।

(ढ) **मद संख्या 26** में, वित्त वर्ष 2009-10 के दौरान आय द्वारा सम्पन्न निम्नलिखित लेनदेनों, यदि कोई हो, का ब्यौरा प्रविष्ट किया जाना है (यदि कोई लेनदेन संपन्न नहीं होता है, तो कृपया इस मद के संगत कालम को खाली छोड़ दें),

क्रम सं.	कोड	लेन-देन का स्वरूप
1.	001	बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) के अंतर्गत आने वाली किसी बैंककारी कंपनी (इसमें इस अधिनियम की धारा 51 में उल्लिखित कोई बैंक अथवा बैंककारी संस्था शामिल है) में आप द्वारा अनुरक्षित किसी बचत खाता में किसी वर्ष में कुल 10 लाख रू. या इससे अधिक का नकद जमा ।
2.	002	क्रेडिट कार्ड के संबंध में व्युत्पन्न बिलों के विरूद्ध किसी वर्ष में आप द्वारा दो लाख रूपए या इससे अधिक का किया गया भुगतान।
3.	003	म्युचुअल फंड की यूनिट खरीदने के लिए आय द्वारा दो लाख रूपए या इससे अधिक राशि का किया गया भुगतान।
4.	004	किसी कंपनी या संस्था द्वारा जारी बौंड या डिबेंचर प्राप्त करने के लिए आप द्वारा 5 लाख रूपए या इसे अधिक का किया गया भुगतान।
5.	005	किसी कंपनी द्वारा जारी शेयर प्राप्त करने के लिए आप द्वारा एक लाख रूपए या इससे अधिक का किया गया भुगतान।
6.	006	आप द्वारा 30 लाख रूपए या इससे अधिक मूल्य की किसी अचल संपत्ति की खरीद।

7.	007	आप द्वारा 30 लाख रूपए या इससे अधिक मूल्य की किसी अचल संपत्ति की बिक्री।
8.	008	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी बांड में निवेश के लिए किसी वर्ष में आप द्वारा 5 लाख रूपए या इससे अधिक की राशि का भुगतान।

(ण) **मद संख्या 27** में, कृपया सभी छूट आय का ब्यौरा प्रविष्ट करें । उदाहरणार्थ, में, अर्थात लाभांश आय, दीर्घावधिक पूंजी अभिलाभ से आय जिन पर प्रतिभूति संव्यवहार कर का भुगतान किया गया है, अधिकतम 5000रूपये की कृषि आय आदि ।

(त) **मद संख्या 28** में, यह विवरणी 28 नवम्बर, 2006 की कर विवरणी तैयारकर्ता योजना के अनुसरण में किसी कर विवरणी तैयारकर्ता (टी आर पी) द्वारा भी तैयार की जा सकती है । यदि विवरणी उसके द्वारा तैयार की गई है, तो उसके द्वारा मद सं. 28 में संगत ब्यौरे भरे जाएं और उक्त मद में उपलब्ध स्थान पर विवरणी उसके द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित की जाए । कर विवरणी तैयारकर्ता करदाता से अधिकतम 250/-रू. की फीस लेने के लिए हकदार है । कर विवरणी तैयारकर्ता निम्नलिखित तीन वर्षों के लिए सरकार से निम्नानुसार प्रतिपूर्ति का भी हकदार है :-

(i) पहले पात्र कर निर्धारण वर्ष (पहला पात्र कर निर्धारण वर्ष का आशय ऐसा कर निर्धारण है जिससे पूर्व के कम से कम 3 कर निर्धारण वर्षों के लिए विवरणी प्रस्तुत न की गई हो) के लिए विवरणी में घोषित आय पर संदत्त कर का 3%;

(ii) दूसरे पात्र कर निर्धारण वर्ष (दूसरा पात्र कर निर्धारण वर्ष का आशय दूसरे पात्र कर निर्धारण वर्ष के ठीक बाद आने वाले कर निर्धारण वर्ष से है) के लिए विवरणी में घोषित आय पर संदत्त कर का 2%

(iii) तीसरे पात्र कर निर्धारण वर्ष (तीसरा पात्र कर निर्धारण वर्ष का आशय पहले पात्र कर निर्धारण वर्ष के ठीक बाद आने वाले कर निर्धारण वर्ष से है) के लिए विवरणी में घोषित आय पर संदत्त कर का 1%;

इन तीन पात्र कर निर्धारण वर्षों के लिए, टी आर पी करदाता से उतनी राशि शुल्क के रूप में प्राप्त करने का पात्र होगा जितनी राशि सरकार से उसे प्राप्त प्रतिपूर्ति की राशि 250रू. से अधिक होगी ।

10. गणना कैसे करें

वेतनभोगी कर्मचारियों के मामले में, वेतन आय में परिलाभों का मूल्य शामिल

करने के प्रयोजनार्थ अधिसूचना संख्या का.आ.3245(अ) दिनांक 18.12.2009 के अनुसरण में परिलाभों का मूल्य निर्धारित करना होगा ।

वेतन से आय की प्रपत्र कैसे करें (एकाधिक प्रयोक्ताओं के मामलों में अतिरिक्त नियोक्ताओं के लिए मद 1 से 6 दोहराएं)			
वेतन		नियोक्ता का नाम 1 :	1
	1	फार्म 16 से वेतन(वेतन के बदले में सभी भत्तों,परिलाभों एवं लाभों को छोड़कर)	
	2	धारा 10 के अंतर्गत छूट प्रदत्त भत्ते (वेतन में शामिल न किए जाने वाले)	
	3	भत्ते जिन पर छूट प्रदत्त नहीं है	3
	4	परिलाभों का मूल्य	4
	5	वेतन के बदले में लाभ	5
	6	नियोक्ता 1 से कराधेय वेतन(1+3+4+5)	6
आईटीआर 1 विवरणी प्रपत्र की मद 1 में उल्लेख करने के लिए कुल वेतन आय			

गृह संपत्ति से आय की प्रपत्र कैसे करें					
	1	गृह संपत्ति			
गृह संपत्ति		क	वार्षिक किराया मूल्य/ प्राप्त किराया या प्राप्त करने योग्य किराया (अधिक यदि पूरे वर्ष के लिए किराये पर दिया गया, कम यदि वर्ष के किसी भाग के लिए किराये पर दिया गया		1क
		ख	किराए की ऐसी राशि जिसे वसूल नहीं किया जा सकता		
		ग	स्थानीय प्राधिकारियों को संदत्त कर		
		घ	कुल (1ख+1ग)		
		ड.	अधिशेष(1क-1घ)		1ड.
		च	1 ड. का 30 प्रतिशत		
		छ	उधार ली गई पूंजी पर संदेय ब्याज (1,50,000 रूपये तक सिमित यदि नहीं किराए पर दिया गया)		
		ज	कुल (1च-1छ)		
		झ	गृह संपत्ति से आय (1 ड.-1छ)		
	4	"गृह संपत्ति से आय" शीर्ष के अंतर्गत आय			

		क	धारा 25क/कक के अंतर्गत पिछले वर्षों का वसूला गया किराया	
		ख	30 प्रतिशत की कटौती के बाद धारा 25ख के अंतर्गत वर्ष के दौरान प्रदत्त किराये का बकाए	
		ग	इस विवरणी प्रपत्र की मद 2 में उल्लेख करने के लिए --- गृह संपत्ति से कुल आय(4क+4ख+1झ)	
टिप्पणी		कृपया इस शीर्ष के अंतर्गत आय की गणना करते समय विनिर्दिष्ट व्यष्टियों जैसे कि नाबालिग बच्चों की आय, यदि कोई हो तथा यदि उनके नाम पर सम्पत्ति हो, को शामिल करें ।		

अन्य स्रोतों से आय की प्रपत्र कैसे करें (एकाधिक एफडी ब्याज, बचत खाते से अन्य ब्याज के मामले में मद 1ख में योग भरें)					
एस	1	घुड़दौड़ जीतने से प्राप्त आय से भिन्न आय			
	क	कराधेय लाभांश, सकल		1क	
	ख	ब्याज, सकल		1ख	
	ग	मशीनरी, संयत्र, भवन आदि से किराया आय, सकल		1ग	
	घ	अन्य, सकल		1घ	
	ड.	कुल(1क+1ख+1घ)			
	च	धारा 57 के अंतर्गत कटौतियां			
		(i)	व्यय		
		(ii)	मूल्य ह्रास		
		(iii)	कुल		
	छ		अधिशेष(1ड.-च iii)		
2	इस विवरणी प्रपत्र की मद 3 में भरने के लिए --- अन्य स्रोतों से कुल आय (1ड+1छ)				
टिप्पणी	कृपया इस शीर्ष के अंतर्गत आय की गणना करते समय विनिर्दिष्ट व्यक्तियों जैसे नाबालिग बच्चों की आय यदि कोई हो, तथा उनके नाम कोई एफडी है शामिल करें।				

छूट आय की (कुल आय में शामिल न की जाने वाली आय) प्रपत्र कैसे करें				
छूट आय	1	ब्याज आय		1
	2	लाभांश आय		2
	3	दीर्घावधिक पूंजी अभिलाभ जिस पर प्रतिभूति संव्यवहार कर		3

		अदा किया गया है ।		
	4	निवल कृषि आय(5000रूपये से अधिक नहीं)		4
	5	आय, जिसमें नाबालिग बच्चे की छूट आय शामिल है		5
	6	इस विवरणी प्रपत्र की मद 27 में उल्लेख करने के लिए--- कुल (1+2+3+4+5)		6

धारा 80छ के अंतर्गत कटौती की प्रपत्र कैसे करें (कृपया नीचे विभिन्न प्रकार के दान को सूचीबद्ध करें)					
दान का ब्यौरा	क	100 प्रतिशत कटौती के पात्र दान(उदाहरणार्थ प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष)			
		दान देने वाले का नाम			दान राशि
		(i)		क i	
		(ii)		क ii	
		(iii)	कुल	क iii	
	ख		50 प्रतिशत कटौती के लिए पात्र दान जहां धारा 80छ(द)(vi) के अंतर्गत दान लेने वाले का अनुमोदित होना अपेक्षित नहीं है (उदाहरणार्थ प्रधानमंत्री सूखा राहत कोष)		
			दान देने वाले का नाम		दान राशि
		(i)		ख i	
		(ii)		ख ii	
		(iii)		ख iii	
	ग		50 प्रतिशत कटौती के लिए पात्र दान जहां धारा 80द(5)(vi) के अंतर्गत दान लेने वाले का अनुमोदित होना अपेक्षित है (पात्र दान अन्य कटौतियों के बाद कुल आय के 10 प्रतिशत तक सीमित है)		
			दान देने वाले का नाम एवं पता		दान राशि
		(i)		ग i	
		(ii)		ग ii	
		(iii)		ग iii	
	घ		इस विवरणी प्रपत्र की मद संख्या 6 में उल्लेख करने के लिए धारा 80 छ के अंतर्गत कुल कटौती ={ ए.iii का 100 प्रतिशत+बीiii का 50 प्रतिशत+सी iii का 50 प्रतिशत(अन्य कटौतियों के बाद कुल आय का अधिकतम 10	घ	

			प्रतिशत(मद 4-मद(छोड़कर या मद सी iii का जोड़)}		